14

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 74–दो/2006 – विरूद्ध आदेश दिनांक 13–1–2005 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 123/1995–96 निगरानी

इन्द्रजीत पुत्र बंशी याव
ग्राम उमरी तहसील भिण्ड
जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश ----आवेदक

विरूद्ध

1– निर्भयगिरि
2– नेहने पुत्र कल्लू यादव
3– समाधान पुत्र बंशी यादव
4– हरविलास पुत्र बंशी यादव
सभी ग्राम उमरी तहसील भिण्ड
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश
5– म0प्र0शासन -----अनावेदकगण

(आवेदक के श्री एस0के0अवस्थी अभिभाषक)

(अनावेदक क–5 के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 11 – 01 –2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 123/1995–96 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13–1–2005 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम उमरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 1423 शासकीय अभिलेख में मिल्कियत सरकार देवस्थान श्री उमरेश्वर महादेव प्रबंधक कलेक्टर व पुजारी निर्भयगिरि गुरू गोविन्द गिरि जाति गुसाई दर्ज है तथा खसरे में वंशी नेहने पुत्रगण कलू जाति अहीर

मुद्दत 12 साल अंकित है । आवेदक एंव अनावेदक 2 से 4 के विरूद्ध तहसील न्यायालय से म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ हुई तथा प्रकरण कमांक 533/66-67 : 248 में पारित आदेश दिनांक 30-3-94 से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अनावेदक कमांक 3 एंव 4 ने म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 35 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने की मांग की, जिसे तहसील न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिनांक 20-9-1994 से स्वीकार करते हुये अनावेदक को हमराह साक्ष्य लाने का अवसर दिया। तहसील न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 20-9-94 के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर भिण्ड के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्र भिण्ड ने प्रकरण कमांक 33/93-94 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12-12-1995 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष निगरानी कमांक 123/1995-96 प्रस्तुत की गई जिसमें पारित आदेश दिनांक 13-1-2005 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक एंव अनावेदक क-5 के पैनल लायर पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि जब पूर्व से ही साक्ष्य हेतु कोई पेशी नियत नहीं थी तब प्रथम पेशी पर प्रार्थी की त्रुटि न होते हुये भी प्रथम पेशी पर ही हमराह साक्ष्य लाने का आदेश देना न्याय के सर्वमान्य विद्धांतों के विपरीत है इसलिये तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जावे।

शासन के पैनल लायर का तर्क है कि आवेदक एंव अनावेदक कमांक 2 से 4 ग्राम उमरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 1423, जो शासकीय अभिलेख में मिल्कियत सरकार देवस्थान श्री उमरेश्वर महादेव प्रबंधक कलेक्टर व पुजारी निर्भयगिरि गुरू गोविन्द गिरि जाति गुसाई दर्ज है

माफी/औकाफ व मंदिर की सेवा पूजा से लगाई भूमि पर बेजा कब्जा किये है इसलिये उनके विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही प्रारंभ की गई है किन्तु आवेदक व अनावेदक 2 से 4 ने सॉठगॉठ करके तहसीलदार के निर्णय के विरूद्ध व्यर्थ निगरानी करके प्रकरण लम्बित बनाये हैं एंव भूमि पर से कब्जा नहीं छोड़ रहे है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 123/1995-96 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-1-2005 के पद 5 में इस प्रकार विवेचना करके निष्कर्ष दिया है :-

" तहसील न्यायालय में प्रकरण मौजा पटवारी के कथनों से संचालित हुआ है चूँकि वादगस्त भूमि माफी औकाफ (मंदिर श्री उमरेश्वर महादेव जी) की है और मूर्ति उसकी भूमिस्वामी होकर निःशक्त श्रेणी में है। म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 168 में स्पष्ट प्रावधान है कि मंदिर की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को स्वत्व अथवा स्वामित्व अर्जित नहीं होते हैं। आवेदक व अना0क0 2 से 4 व्दारा विभिन्न न्यायालयों में निगरानी प्रस्तुत करते हुये प्रकरण को वर्ष 1968 से आज तक उलझाये रखकर निराकरण नहीं होने दिया है। तहसील न्यायालय व्दारा आवेदक व अना.क. 2 लगा. 4 साक्षीगण को उपस्थित कराने में असमर्थ रहे व स्वयं दि. 30-3-94 को अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्वाही की गई तथा उनके व्दारा आवेदन प्रस्तुत करने पर तहसीलदार व्दारा स्वीकार कर एकपक्षीय आदेश निरस्त करते हुये अना. को साक्ष्य हमराह लाने हेतु एक अवसर दिया गया है। तहसील न्यायालय व्दारा की गई कार्यवाही नियमानुकूल है। "

अपर कलेक्टर भिण्ड व्दारा भी आदेश दिनांक 12-12-95 में इसी आशय के निष्कर्ष निकाले गये है। तहसील न्यायालय व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 20-9-1994 , अपर कलेक्टर भिण्ड के आदेश दि. 12-12-95 में

निकाले गये निष्कर्ष तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा आदेश दिनांक 13-1-2005 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 123/1995-96 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 13-1-2005 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है। इस आदेश की अतिरिक्त प्रति कलेक्टर भिण्ड को भेजी जावे। विचाराधीन मामला तहसील न्यायाल में वर्ष 1968 से लम्बित होकर माफी/औकाफ (शासकीय भूमि) अतिक्रमित है जिसके कारण मंदिर की पूजा व्यवस्था प्रभावित होने की आशॅका को ध्यान में रखते हुये कलेक्टर भिण्ड स्वयं के पर्यवेक्षण में तहसील न्यायालाय के प्रकरण कमांक 533/66-67 : 248 का निराकरण 60 दिवस के भीतर करावें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर